

उत्तराखण्ड शासन
न्याय अनुभाग-1

दिनांक 04-10-2011

संख्या- 130/XXXVI/2011-17-एक(5)/2005
देहरादून: दिनांक: 17 अक्टूबर, 2011अधिसूचना

राज्यपाल, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (अधिनियम संख्या 39 वर्ष 1987) की धारा 28 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से उत्तरांचल राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियमावली, 2006 में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नालिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधन) नियमावली, 2011

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1- (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधन) नियमावली, 2011 है।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
- नियम 16 के उपनियम (9) के बाद उपनियम (10) एवं (11) अन्तःस्थापन 2- उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियमावली, 2006 के नियम 16 के उपनियम (9) के पश्चात उपनियम (10) एवं उपनियम (11) निम्नवत अन्तःस्थापित कर दिया जायेगा: अर्थात्
“(10) 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक
(11) हिजड़ा समुदाय”

(डी० पी० गैरोला)
प्रमुख सचिव

संख्या- 130(1)/XXXVI/2011-17-एक(5)/2005 तददिनांकित।

प्रतिलिपि : निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रुड़की, जिला हरिद्वार को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे उपर्युक्त अधिसूचना को उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रसारित असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड-ख, परिनियम आदेश में प्रकाशित करने एवं अधिसूचना की 50 मुद्रित प्रतियां शासन को भेजने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(धर्मेन्द्र सिंह अधिकारी)
संयुक्त सचिव

D:\Bhagwan folder\Adhisuchan.doc


Seen. Inform all
concerned.
M.S.

संख्या- 130(2)/XXXVI/2011-17-एक(5)/2005 तददिनांकित।

प्रतिलिपि : : निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- निजी सचिव, मा0 विधि मंत्री को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
- 2- स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 3- महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
- 4- समस्त अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/जिला न्यायाधीश।
- 5- सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल।
- 6- गार्ड फाईल/एन0आई0सी0।

आज्ञा से,



(धर्मेन्द्र सिंह अधिकारी)

संयुक्त सचिव